UPAZ010023582026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः अजय कुमार शाही, एच०जे०एस० (प्रभारी सत्र न्यायाधीश)

(JO CODE- UP 6082)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1008/2026

साजन सरोज उम्र लगभग 21 साल पुत्र दयाराम सरोज निवासी गौरा थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

दिनांक-31.03.2026

1- प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. आवेदक/ अभियुक्त **साजन सरोज** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**54/2026** अन्तर्गत धारा- **69, 352, 351(3) बी.एन.एस.,** थाना **मेहनगर**, जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अर्जुन सरोज द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जमानत प्रार्थना में वर्णित समस्त बातें उसकी निजी जानकारी में सही व सच हैं।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा प्रेमशीला द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादिनी की पुत्री गांव के ही साजन सरोज से प्यार करती थी। दिनांक 22.06.2025 को साजन सरोज ने वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर घर के अंदर 12 बजे दिन में, जब वादिनी घर पर नहीं थी, शारीरिक संबंध बनाया। जब वादिनी की पुत्री ने वादिनी से यह बात बतायी तो वादिनी दिनांक 28.06.2025 को साजन के घर बात करने गयी तो साजन के पिता दयाराम सरोज व उनकी पत्नी सुराती देवी वादिनी को गाली गुप्ता जान से मारने की धमकी देते हुए अपने घर से भगा दिये व साजन सरोज उसी दिन शिमला चला गया। वादिनी की पुत्री जब भी साजन सरोज को अपने मोबाइल से फोन करती थी, तो साजन सरोज झूठी सांत्वना देकर आज करूंगा, कल करूंगा, परंतु अभी तक शादी नहीं किया, टाल मटोल कर रहा है।

4- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है, रंजिशवश अभियुक्त बना दिया है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नही है और आवेदक द्वारा जमानत का कभी भी दुरूपयोग नही किया जायेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से राय मशविरे के साथ झूठे कथानक के आधार पर पंजीकृत कराई गयी है और विलम्ब का कोई यथोचित स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक पूरी तरह से झूठा मनगढन्त और बनावटी है। कथित घटना के दिन व समय वादिनी की पुत्री, जो बालिग है उसे बहलाने फुसलाने या शादी का झांसा देने के बात में कोई सच्चाई नहीं है। पीड़िता एक अन्य नवयुवक से प्रेम करती है और उसकी अन्य नवयुवक के साथ की फोटो तथा उसने जो वीडियो

Digitally signed by AJAY KUMAR SHAHI
Date: 2026.03.31 16:35:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रिकॉर्डिंग की है उससे यह बात प्रमाणित है कि वह किसी अन्य युवक के प्रेम सम्बन्ध में आबद्ध है और उसी के साथ शादी करके रहना चाहती है। सच्चाई यह है कि पीड़िता आवेदक से न तो शादी करना चाहती है और न ही आवेदक के साथ रहकर बतौर पत्नी दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करना चाहती है। वह आवेदक के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराकर आवेदक को ब्लैकमेल कर आवेदक से नाजायज धन की माँग कर रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक के अनुसार आवेदक व वादिनी मुकदमा के पुत्री के मध्य पूरी वयस्कता की स्थिति में वादिनी के घर में भी दिन में शारीरिक सम्बन्ध बनाना कहा गया है। इस बात से यह प्रमाणित होता है कि शारीरिक सम्बन्ध आपसी सहमति और बिना किसी विरोध के बना है। ऐसी दशा में अभ्यारोपित अपराध में आवश्यक तत्वों का अभाव है। आवेदक दिनांक-06.03.2026 से जनपद कारागार आजमगढ़ मे निरूद्ध है। आवेदक का मजदूरी के सहारे परिवार का भरण पोषण होता है। जेल मे निरूद्ध रहने से घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। आवेदक विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा। यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा० उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5- **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा वादिनी के विद्वान अधिवक्ता** के द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर दिनांक 22.06.2025 को वादिनी के घर में घुसकर शारीरिक संबंध बनाया गया है। पीड़िता द्वारा शादी करने की बात कहने पर अभियुक्त उसे झूठी सांत्वना देते हुए टाल मटोल कर रहा है। पीड़िता ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का अपराध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र आपराधिक इतिहास न होने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों/पत्रावली का अनुशीलन किया।

6- केस डायरी के अनुशीलन से पाया जाता है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. दर्ज कराया गया है जिसमें पीड़िता ने कथन किया है कि मैं साजन सरोज से दो वर्षों से बात कर रही थी। अक्सर वह मेरे घर आता जाता रहता था। वह मुझसे शादी करने को कहता था। दिनांक 22.06.2025 को मेरे घर पर कोई नहीं था तो साजन मेरे घर आया और बोला मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरे साथ जबरदस्ती घर के अंदर शारीरिक संबंध बनाया व मेरा फोटो खींचा। जब मेरे घर पर कोई नहीं रहता था, तब साजन मेरे घर आता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब मैंने उससे बोला कि मुझसे शादी कब करोगे, तब उसने शादी करने से मना कर दिया। तब मैंने सारी बातें अपने घर वालों को बतायी, तब मेरी मां ने थाने पर मुकदमा लिखवाया।

7- विवेचक द्वारा दौरान विवेचना पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. दर्ज कराया गया है जिसमें पीड़िता ने कथन किया है कि मैं अपने पड़ोसी साजन सरोज से दो वर्षों से फोन से बात करती थी। दिनांक 22.06.2026 को जब मैं अपने घर पर अकेली थी, तब साजन सरोज ने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसने मुझे शादी करने का झांसा भी दिया। जब मैंने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने मना कर दिया और फिर मैंने अपने परिवार को सारी बातें बतायी।

8- इस प्रकार पीड़िता के उपरोक्त बयानों के अवलोकन से प्रथमदृष्टया इस स्तर पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया तथा उसे शादी करने का झांसा दिया गया। उसके उपरांत अभियुक्त शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, किन्तु जब पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो अभियुक्त ने शादी करने से इंकार कर दिया। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये जाने व शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाये जाने का कथन किया है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य तथा पीड़िता के बयानों से प्रथमदृष्टया इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा घटना किया जाना प्रतीत होता है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

9- इस आदेश में मुकदमे के गुणदोष पर की गयी टीका-टिप्पणी जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु की गयी है जिसका मुकदमे के विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10- अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता के दृष्टिगत अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **साजन सरोज** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांक-31.03.2026

(अजय कुमार शाही)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।